भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>लोक सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2123</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 2 दिसम्बर, 2019/11 अग्रहायण, 1941 (शक) को दिया जाना है)

राजस्व हानि

2123. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के तहत कॉर्पोरेट कर की दर में की गई कमी और अन्य राहत के कारण कितनी अनुमानित राजस्व हानि हुई है;

(ख) राजकोषीय घाटे पर कॉर्पोरेट कर में कटौती के प्रतिकूल प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) धारा 115खकक और धारा 115खकख के तहत लाभान्वित कंपनियों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या कर में छूट या कटौती की अनुमति नहीं होने की स्थिति में कर कटौती के बाद कंपनियों को वास्तव में कोई फायदा होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 के तहत कारपोरेट कर की दर में कमी और अन्य राहत के कारण, 1,45,000/- करोड़ रूपए की राजस्व हानि हुई है।

(ख) नियमित बजट 2019-20 के अनुसार वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7,03,760 करोड़ रूपए(जीडीपी का 3.3 प्रतिशत) रूपए रखा गया है। सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के साथ राजस्व तथा व्यय के नियमित आकलन के माध्यम से अपने राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करती है। बजट के संबंध में राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों की अर्धवार्षिकी समीक्षा प्राप्तियों और खर्चों की प्रवृत्ति के वित्त मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाती है तथा इसके परिणाम को एफआरबीएम अधिनियम, 2003 की धारा 7(1) के अनुसार, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में व्यय की प्रगति का विश्लेषण:

बजट वर्ष 2019-20 के लिए कुल व्यय, 27,86,349 करोड़ रूपए अनुमानित है। वर्ष 2019-20 की पहली अर्धवार्षिकी में, वास्तविक व्यय बजट अनुमान(14,88,619 करोड़ रूपए) का 53.4 प्रतिशत है जोकि जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि (सीओपीपीवाई) के समान ही है। वर्ष 2019-20 के एच1 में उपगत कुल राजस्व व्यय, बजट अनुमान का 53.1 प्रतिशत था जोकि पिछले वर्ष की तुलनात्मक अवधि (सीओपीपीवाई)(बजट अनुमान के 53.3%) से आंशिक रूप से कम है, से सूचित होता है कि बजट नियंत्रण का प्रयोग व्यापक पैमाने पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि व्यय को नियंत्रण में रखा गया है।

व्यय प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

बजट प्रबंधन: बजट के लिए संशोधित अनुमानों का आकलन सख्ती से किया जा रहा है ताकि कार्यान्वयन एजेंसियों के पास खर्च न कि गई शेष राशि में सुधार हो सके। उपरोक्त के आधार पर बजट की उच्चतम सीमा को युक्तिसंगत बनाया जाएगा।

मंत्रालयों के भीतर तथा मंत्रालयों के बाहर, योजनाओं/उपयोजनाओं के विलय के माध्यम से समान उद्देश्यों के साथ **योजनाओं का यौक्तिकीकरण**

भारत सरकार की सहायता से धीरे-धीरे कमी तथा स्वायत्तशासी निकायों द्वारा उगाहे गए शुल्क तथा प्रयोगकर्ता/सेवा प्रभारों में वृद्धि के लिए परिवेश के निर्माण द्वारा **स्वायत्त-निकायों का यौक्तिकीकरण**

नकदी प्रबंधन: केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र प्रायोजित-योजनाओं के तहत अनुदानकर्ता/कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए समय पर धनराशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना।

मध्यावधि व्यय रूपरेखा वक्तव्य के माध्यम से मध्यावधि में रोंलिंग व्यय अनुदान आवंटन के माध्यम से बजट के भीतर मांगों तथा नियोजन का वास्तविक प्रक्षेपण।

(ग) नीतिगत उपायों की घोषणा और ऐसे उपायों के प्रभाव के बीच हमेशा एक समय अंतराल होता है।

(घ) 20 सितंबर, 2019 को प्रख्यापित(संशोधन) अध्यादेश, 2019 ने अन्य बातों के साथ-साथ घरेलू कंपनियों पर लगने वाले पर कारपोरेट कर में कमी की है बशर्ते कि:

- एक मौजूदा घरेलू कंपनी यदि वह किसी प्रोत्साहन, कटौती का दावा नहीं करती है तो 22% पर कर जमा(+) 10 प्रतिशत पर अधिभार तथा 4% पर उपकर का भुगतान कर सकती है। ये न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के अध्यधीन भी नहीं होगा।
- एक घरेलू कंपनी (1 अक्तूबर, 2019 या इसके बाद स्थापित) जोकि किसी मद या वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण से संबंधित है तथा इसके संबंध में अनुसंधान करती है या इसके द्वारा विनिर्मित या उत्पादित इस प्रकार की मद या वस्तु का वितरण करती है तथा मार्च 2023 तक उत्पादन प्रारंभ करती है, यदि उसने किसी प्रोत्साहन कटौती का दावा नहीं किया है तो वह 15% पर कर जमा(प्लस) 10% पर अधिभार तथा 4% पर शुरू के भुगतान का विकल्प चुन सकती है। ये मैट के अध्यधीन भी नहीं होगा।
- प्रोत्साहन का लाभ उठाने वाली कंपनियों पर मैट के भार में कमी करने के उद्देश्य से मैट की मौजूदा सामान्य दर कर 18.5% जमा(प्लस) के अधिभार शुल्क से घटाकर 15% अधिभार तथा शुल्क कर दिया गया है।

2. तथापि, कोई भी घरेलू कंपनी रियायती दरों पर कर लगाए जाने के विकल्प का चयन कर सकती हैं, यदि उसे ऐसा लगता है कि इस प्रकार की रियायती कराधान प्रणाली उसकी कंपनी के लिए लाभकारी है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि ऐसी कंपनियां जोकि प्रोत्साहन/कटौती का लाभ लेने के विकल्प को लेना जारी रखती है तो उनके लिए मौजूदा मैट की सामान्य दर को 18.5% जमा(प्लस) अधिभार और उपकर से घटाकर 15% जमा(प्लस) अधिभार और उपकर कर दिया गया है।

******